डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

समदा बनाम राज. सरकार

दावा बाबत :– 88, 188. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 4/2021
पेश करने की दिनांक – 05.01.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम बिठुर के हाल खसरा नम्बर 950 रकबा 0.22 की आराजी पर वादी का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 3 माह 2 सन् 2025 को जारी की गयी।

मुद्दई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:25:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 4/2021

उनवान

समदा पुत्र काना जाति मेहरात निवासी ग्राम बिठुर नसीराबाद
—— वादी :— जरियें अधिवकता श्री सीताराम रावत

बनाम

राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
———— प्रतिवादी :— जरियें राज. पैरोकार

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

—: निर्णय :— दिनांक :— 31/2/25

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बिठुर के चौसाला खसरा नम्बर 907 के वंर्किग खसरा नम्बर 1241 रकबा 1—8—10 के हाल खसरा नम्बर 950 रकबा 0.22 की आराजी वादी के समदा के पिता काना पुत्र चतरा के नाम खातेदारी दर्ज थी। काना पुत्र चतरा की मृत्यु हो गयी है जिसके वारिस वादी ही है। वादी के पिता की मृत्यु के बाद उक्त आराजी जरियें विरासत राजस्व अभिलेख में वादी के नाम दर्ज करने के बजाय त्रुटिपूर्ण तरीके से सिवायचक दर्ज कर दी गयी। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादी को घोषित किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिसटर कर प्रतिवादी को जरियें नोटिस तलब किया गया। राज. पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा सिवायचक होने के कारण वाद खारिज किया जावे।

प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :—

1. आया आराजी मुतनाजा वादी की पुश्तैनी खातेदारी व कब्जे काश्त की है ?
—— वादी
2. आया आराजी मुतनाजा का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने से वादी खातेदारी प्राप्ति का अधिकारी है ?
—— वादी
3. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये तथा वादी समदा का शपथ पत्र पेश किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:25:21 IST
Reason: SelfAttested

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया।

तनकी संख्या 1:–

ग्राम बिठुर के हाल खसरा नम्बर 950 रकबा 0.22 राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज है। उक्त आराजी का वंर्किग खसरा नम्बर 1241 भी सिवायचक दर्ज है। वंर्किग खसरा नम्बर 1241 के चौसाला खसरा नम्बर 907 रकबा 1–8–10 चौसाला जमाबंदी सम्वत् 2024 से 2027 में काना पुत्र चतरा के नाम दर्ज हो कर केसरीमल व मोहनलाल पि. बद्रीलाल के नाम रहन दर्ज है। उक्त जमाबंदी में काना पुत्र चतरा के फौत होने पर उक्त आराजी कम्मा व समदा पि. काना के नाम होने का अंकन दर्ज है। उक्त इन्द्राज अनुसार काना पुत्र चतरा का वारिस वादी के अतिरिक्त कम्मा भी है। वादी द्वारा कम्मा अथवा उसके वारिस को प्रकरण में पक्षकार नही बनाया है। आराजी मुतनाजा पर कब्जा सिद्व करने हेतु भी वादी द्वारा खसरा गिरदावरी अथवा खसरा परिवर्तनशील पेश नही की है। वादी का उक्त आराजी पर कब्जा काश्त सिद्व नही होता है। वंर्किग जमाबंदी व हाल राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा सिवाचक दर्ज है। वादग्रस्त सम्पदा पुश्तैनी कब्जे काश्त की सिद्व नही होती है। तनकी विरूद्व वादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 2 :–

तनकी संख्या 1 के विवेचन के अनुसार आराजी मुतनाजा वादी की पुश्तैनी कब्जे काश्त व खातेदारी की सिद्व नही होती है। वादी द्वारा अपने भाई कम्मा/वारिस को प्रकरण में पक्षकार भी नही बनाया है। जबकि कम्मा/वारिस के हित भी प्रकरण में प्रभावित होते है। हितबद्व व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिये बिना आराजी मुतनाजा अकेले वादी के नाम खातेदारी दर्ज करना न्यायोचित नही है। वादी द्वारा अराजी मुतनाजा पर अपना कब्जा भी सिद्व नही किया है। सिवायचक आराजी पर कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नही किये जा सकते है। तनकी विरूद्व वादी निर्णित की जाती है। वादी का वाद खारिज योग्य है।

उक्तानुसार ग्राम बिठुर के हाल खसरा नम्बर 950 रकबा 0.22 की आराजी पर वादी का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:25:21 IST
Reason: SelfAttested